क्रम-संख्या--436

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 सितम्बर, 1980

आश्विन 2, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2624/सत्रह-वि0-1--59-80

लखनऊ, 24 सितम्बर, 1980

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 24 सितम्बर, 1980 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1980

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1980)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह पहली जून, 1977 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(तीन) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई अन्य निगम (जिसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित ऐसी कम्पनी भी है जिसमें पचास प्रतिशत से अन्यून समादत्त अंश पूंजी राज्य सरकार धारण करती है);

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है:—

(1) किसी अन्य कम्पनी का वेतन भोगी या उसकी सेवारत कोई व्यक्ति; या

(2) अखिल भारतीय सेवाओं या अन्य केंद्रीय सेवाओं का कोई सदस्य;"।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (3) में, शब्द "जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है या होने के लिये अर्ह है," के स्थान पर, शब्द "जो उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश है या ऐसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह है" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु जहां उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाय, वहां उसे अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा।";

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(5) फाइनेंशियल हैन्ड बुक, खण्ड दो (भाग दो से चार) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल्स के नियम 56 के उपबन्ध अधिकरण के प्रत्येक सदस्य पर उसी प्रकार लागू रहेंगे जिस प्रकार वे उसी श्रेणी पंक्ति या संवर्ग के किसी अन्य सरकारी सेवक पर लागू होते हैं:

परन्तु उपधारा (4) के परन्तुक में निर्दिष्ट कोई न्यायिक सदस्य तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसकी आयु बासठ वर्ष की न हो जाय।"

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) में, खंड (ख) में, शब्द "या आवेदन" निकाल दिये जायेंगे।

अपवाद और संक्रमणकालीन उपबन्ध

5—(1) जहां अधिकरण के किसी सदस्य ने 31 जुलाई, 1980 के पूर्व अट्ठावन वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसे फाइनेंशियल हैन्ड बुक, खंड दो (भाग दो से चार) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल्स के नियम 56 या उत्तर प्रदेश में यथा प्रयोज्य सिविल सर्विस रेगुलेशन के आर्टिकिल 520 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्ध के अनुसार, सेवा में बनाये नहीं रखा गया है, या पुनर्नियुक्त नहीं किया गया है, वहां किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, डिक्री में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सदस्य को ऐसी आयु पूरी करने के दिनांक से सेवा-निवृत्त समझा जायगा, और ऐसी सेवा-निवृत्ति उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

(2) अखिल भारतीय सेवाओं या किसी अन्य केंद्रीय सेवा के किसी सदस्य द्वारा मूल अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिकरण को 31 जुलाई, 1980 के पूर्व दिया गया प्रत्येक निर्देश जो उक्त दिनांक को अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विस्तारित किया जायगा।

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 2624 (2) /XVII-V-1—59-80

Dated Lucknow, September 24, 1980

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Sewa (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1980), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 24, 1980 :

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNALS) (AMENDMENT) ACT, 1980

(U. P. Act no. 13 of 1980)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976.

It is hereby enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1980.

(2) It shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1977.

Amendment of section 2 of U. P. Act 1 of 1976.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (*b*), *for* sub-clause (iii), the following sub-clause shall be *substituted*, namely :—

"(iii) any other corporation owned or controlled by the State Government (including any company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956 in which not less than fifty per cent of paid up share capital is held by the State Government) but does not include—

(1) a person in the pay or service of any other company ; or

(2) a member of the All India Services or other Central Services;".

Amendment of Section 3.

3. In section 3 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (3), *for* the words "who is or has been or is qualified to be a Judge of a High Court", the words "who is a Serving Judge of the High Court or is qualified to be appointed as such Judge" shall be *substituted*.

(*b*) in sub-section (4), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely :

"Provided that where a Serving Judge of the High Court is appointed as a Judicial Member, he shall be appointed as Chairman.";

(*c*) *for* sub-section (5), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(5) The provisions of rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules, published in the Financial Handbook Volume II (Parts II to IV) shall continue to apply to every member of the Tribunal as they apply to any other Government servant of the same grade, rank or cadre:

Provided that a Judicial Member referred to in the proviso to sub-section (4) shall continue to hold office till he attains the age of sixty-two years."

Amendment of section 5.

4. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*b*), the words "or application" shall be *omitted*.

Savings and transitory provisions.

5. (1) Where any member of the Tribunal has completed the age of fifty-eight years before July 31, 1980 and has not been retained or re-employed in service in accordance with the provisions of rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules published in the Financial Handbook, Volume II (Parts II to IV), or Article 520 of the Civil Services Regulations as applicable to Uttar Pradesh or any other law for the time being in force then, notwithstanding anything contained in any judgement, order or decree of any court, such member shall be deemed to have retired with effect from the date of such completion, and such retirement shall be as valid and effective as if the provisions of this Act were in force at all material times.

(2) Every reference to the Tribunal under section 4 of the principal Act made by a member of the All India Services or any other Central Services before July 31, 1980 and pending before the Tribunal on the said date shall be disposed of in accordance with the provisions of the principal Act as amended by this Act.

Repeal and savings.

6. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 1980 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 150 सा० (विवा०)--25-9-80--(2064)--1980--750(मेक०)।